

# “स्व-वित्त पोषित योजना-2015 के अर्न्तगत

वृन्दावन योजना संख्या-1  
के सेक्टर 5D में (G+2) प्रकार के एस.एफ.एस.  
विशिष्ट दुर्बल आय वर्ग हेतु भवन

पंजीकरण  
पुस्तिका  
2015

पंजीकरण

दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 से  
दिनांक 7 जनवरी, 2016

तक  
अर्चालय प्रयोग हेतु

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.com>, E-mail : [upavp@sancharnet.in](mailto:upavp@sancharnet.in)

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित



मूल्य रू० 300/-

(285.71+वैट 14.29)



IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

**उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद**

**U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD**



**Disclaimer:** This broucher is purely conceptual & is not a legal offering. All layouts, specifications, photographs are tentative & subject to variation as per site conditions. Furnitures/Fittings/Fixings shown in plans & isometric view are purely indicatvie.

## एक परिचय

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

### उद्देश्य:-

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्प्लेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कौस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे- विद्युत-आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सकें।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये इच्छुक पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी प्रणाली द्वारा अथवा कम्प्यूटर के माध्यम से स्यूडो रैंडम प्रणाली से निर्धारित पात्रता सूची के आधार पर किया जायेगा।













BAL.  
1442X750

KITCHEN  
1500X1800

BED ROOM  
2500X2800

BATH  
1335X1000

LIVING ROOM  
3000X2600

W.C.  
1050X900

W.C.  
1050X900

BATH  
1335X1000

LIVING ROOM  
3000X2600

BED ROOM  
2500X2800

BAL.  
1385X750

KITCHEN  
1500X1800



## स्व-वित्त पोषित योजना-2015

"उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" वृन्दावन योजना के सेक्टर 5D, लखनऊ में विशिष्ट श्रेणी के आवासीय फ्लैट के लिए "स्व-वित्त पोषित योजना-2015" के अर्न्तगत पंजीकरण हेतु आवेदन दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 से दिनांक 7 जनवरी, 2016 तक आमंत्रित किये जा रहे हैं।

"स्व-वित्त पोषित योजना-2015" अर्न्तगत निर्मित किये जाने वाले (G+2) प्रकार फ्लैट्स की लागत पंजीकरण धनराशि योजना आदि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

### 1- एस0एफ0एस0 पंजीकरण

क्रमांक	सेक्टर	भवनों के प्रकार	कुल भवनों की संख्या	सुपर एरिया, क्षेत्रफल लगभग (व0मी0)	निर्मित क्षेत्र लगभग (व0मी0)	भवन का कुल अनुमानित मूल्य प्रति नग (रू0 लाख में)	पंजीकरण धनराशि	चयन के पश्चात मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि	अवशेष भुगतान 8 त्रैमासिक किश्तों में (प्रत्येक किश्त की धनराशि)
1	5 की	विशिष्ट दुर्बल आय वर्ग (जी+2) स्व वित्त पोषित	60 (प्रत्येक तल पर 20 भवन हैं।)	31.34	28.37	अ) भूतल-10.80 ब) प्रथम तल- 8.90 स) द्वितीय तल- 8.30	₹ 130000 ₹ 90000 ₹ 83000	₹ 200000 ₹ 156000 ₹ 133000	₹ 93750 ₹ 80500 ₹ 76750

### नोट:-

- मा0 न्यायालय अथवा किन्हीं कारणों से सूचित किये गये सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन होगा तो तदनुसार आवंटनी को मुग्तान करना होगा।
- सम्पत्तियाँ फ्री होल्ड पर उपलब्ध होंगी सम्पत्तियों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है।
- सम्पत्ति का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- लाटरी ड्रा में पंजीकरण पात्रता चयन में परिषद/शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण तल वार देय होगा।
- सम्पत्ति का अन्तिम मूल्य आवंटन तिथि को प्रचलित दर के आधार पर आगणित किया गया है। सम्पत्ति के सूचित अनुमानित मूल्य में 20% की वृद्धि सम्भावित हो सकती है।



## अन्य विशिष्टियाँ

(जी+2) प्रकार एस0एफ0एस0 विशिष्ट दुर्बल आय वर्ग भवन

1. स्ट्रक्चर : भूकम्परोधी निर्माण।
2. फर्श : लिविंग रूम बेडरूम में सिरैमिक टाइल्स।
3. ट्वायलेट : फर्श एवं दिवारों पर सिरैमिक टाइल्स।
4. किचन : फर्श पर सिरैमिक टाइल्स, कुकिंग प्लेटफार्म पर ग्रीन बड़ौदा / प्लेटफार्म के ऊपर वाल पर सिरैमिक टाइल्स तथा स्टील का सिंक।
5. चौखट : एम0एस0 एंगिल आयरन।
6. दरवाजे : आई0एस0आई मार्क फलश डोर शटर्स।
7. खिड़कियां : जेड सेक्शन विन्डो।
8. डोर / विन्डों फिटिंग : आई0एस0आई0 मार्क आक्सीडाइज्ड फिटिंग्स।
9. रंग-रोगन : अन्दर दिवारों पर आयल बाउण्ड डिस्टेम्पर, बाहरी सतह पर वाटर प्रूफ बेदर कोट फिनिशिंग, दरवाजों पर एनामिल पेन्ट।
10. जलापूर्ति : सभी प्लैटों हेतु छत पर 500 ली0 पी0वी0सी0 टैंक।
11. विद्युत : अग्निरोधक पी0वी0सी0 कापर कन्सील्ड वायरिंग का प्रविधान।
12. स्टेयर केस : प्लेन पी0वी0सी0 फर्श।



## सामान्य सूचनायें

इस पुस्तिका में केवल सामान्य सूचनायें दी गयी हैं। विस्तृत सूचना के लिये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 यथा संशोधित जून, 1986 तथा समय-समय पर विनियमावली में संशोधन जो परिषद मुख्यालय पर निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध होगी। पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी सभी कार्यवाही उपरोक्त विनियमावली, समय-समय पर जारी आदेशों एवं शासनादेशों के अनुसार की जायेगी। इनमें समय-समय पर किये गये संशोधन भी लागू होंगे।

1-1 फ्लैटों की लागत अनुमानित है। वास्तविक मूल्य अन्तिम मूल्यांकन के आधार पर देय होगा। जो घट-बढ़ सकता है।

1-2 फ्लैट के प्रस्तावित स्केच डिजाइन प्लान पुस्तिका में हैं।

1-3 फ्लैट की सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा।

### (2) आवश्यक सेवायें एवं सार्वजनिक सुविधायें—

1. परिषद द्वारा विकसित की जा रही आवासीय योजनाओं में सभी आवश्यक सुविधायें जैसे पाईप लाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति, सीवर/सेप्टिक टैंक द्वारा सीवेज का निस्तारण, पक्की सड़कों का निर्माण, पार्कों का विकास एवं वृक्षारोपण, बाह्य विद्युतीकरण एवं मार्ग प्रकाश की व्यवस्था आदि का प्राविधान किया जाता है।

2. योजना में आवश्यक नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था अथवा प्राविधान किया जाता है।

### (3) फ्लैट के प्रकार, डिजाइन आदि:

विभिन्न प्रकार के फ्लैटों के प्लान, डिजाइन, पुस्तिका में अलग से दर्शाये गये हैं। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित अधिकारी से सम्पर्क करें। सम्बंधित कार्यालय एवं अधिकारी का पता पुस्तिका के अन्तिम भाग में दिया गया है।

### (4) आवेदन का तरीका:

4.1 पंजीकरण पुस्तिका अंकित बैंक/स्थान से प्राप्त की जा सकती है। तथा सम्मुख अंकित बैंक में पंजीकरण धनराशि सहित आवेदन पत्र जमा करना होगा।

4.2 डाक द्वारा पंजीकरण पुस्तिका मंगाने हेतु ₹0 300/- पुस्तिका मूल्य एवं डाक व्यय (₹0 50/-) प्रेषित कर पंजीकरण पुस्तिका उल्लिखित बैंक एवं प्रचार अनुभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ" के नाम देय होगा।

4.3 इस पुस्तिका के साथ संलग्न आवेदन-पत्र तथा चालान की प्रतियां भरकर पंजीकरण की निर्धारित धनराशि का नगद भुगतान "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ" देय बैंक ड्राफ्ट निर्दिष्ट बैंक में अन्तिम तिथि तक डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त चालान की प्रति बैंक द्वारा हस्ताक्षरित कर मोहर लगाकर आपको डाक द्वारा वापस कर दी जायेगी। इसे सावधानी पूर्वक रखें।



4.4 इस पुस्तिका में प्रस्तुत तालिका में योजना तथा शहर का नाम, कोड संख्या एवं सम्पत्ति का प्रकार अंकित है। आवेदन पत्र पर कोड सावधानी पूर्वक अंकित करें। पंजीकरण की धनराशि सम्बंधित बैंक में केवल नगद भुगतान अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जायेगी।

4.6 अपूर्ण एवं सशर्त तथा अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

4.7 इस पुस्तिका के साथ संलग्न आवेदन-पत्र तथा चालान की चारों प्रतियों भरकर पंजीकरण की निर्धारित धनराशि का भुगतान "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ" के नाम बैंक ड्राफ्ट निर्दिष्ट बैंक में अन्तिम तिथि तक डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त चालान की प्रति बैंक द्वारा हस्ताक्षरित कर मोहर लगाकर आपको डाक द्वारा वापस कर दी जायेगी। इसे सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखें।

4.8 डाक में हुए विलम्ब के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।

**स्व-वित्त पोषित योजना 2015 के भवनों के नियम व शर्तें:-**

**पंजीकरण हेतु पात्रता:-**

5.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

5.2 आवेदक की आयु आवेदन पत्र भरते समय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

5.3 स्व-वित्त पोषित श्रेणी के भवनों हेतु कोई आय सीमा नहीं है।

5.4 सामान्य पंजीकरण के भवनों हेतु आय सीमा निर्धारित की गई है।

5.5 प्रदेश में किसी अन्य नगर व शहरी क्षेत्र में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं होने चाहिये। जिस नगर में भवन हेतु आवेदन किया जा

रहा है। उसमें आवेदक, उनकी पति/पत्नी एवं आवश्यक बच्चों के नाम कोई सम्पत्ति नहीं होनी चाहिये।

5.6 आवेदक अथवा उसके परिवार के पास इस समय तथा भविष्य में भी परिषद द्वारा आवंटित की जाने वाली सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए अरबन लैण्ड सीलिंग एण्ड रेगुलेशन एक्ट-1976 में निर्धारित सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं होनी चाहिये।

**पंजीकरण नियम:-**

6.1 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिये संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति/पत्नी के नाम नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकृत व्यक्ति के पंजीकरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।

6.2 यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध भवनों से अधिक होगी तो पात्र आवेदकों का चयन लाटरी द्वारा किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों की संख्या कम होने पर पात्र आवेदकों को चयनित कर लिया जायेगा। पात्रता चयन में असफल/निरसत आवेदन पत्रों के आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

6.3 यदि कोई आवेदक पंजीकरण हेतु पात्रता चयन हेतु लाटरी झा अथवा मांग-पत्र (जो भी पहले हो) जारी होने से पहले अपनी जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसे बिना कटौती यह धनराशि आवेदन करने पर बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी, परन्तु जमा पंजीकरण धनराशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।



6.7 स्व विल पाषित योजना के अन्तर्गत यदि कटौती के वापस कर दी जायेगी।

6.6 स्व-विल पाषित योजना के अन्तर्गत यदि कोई आवेदक सम्पूर्ण किरतों का भुगतान करने के उपरान्त भवन का मूल्य स्थित मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक बढ़ जाने के कारण भवन नहीं लेता है तो आवेदन करने पर सम्पूर्ण जमा धनराशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जायेगी।

6.5 सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत यदि कोई आवेदक मात्रा भवन ही जाने के पश्चात् भवन आवेदन से पूर्व अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करके ही अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी।

6.4 स्व विल पाषित योजना के अन्तर्गत यदि कोई आवेदक मात्रा भवन ही जाने के पश्चात् भवन आवेदन से पूर्व अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करके ही अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करके ही अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

होगा।

6.13 इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत आवेदक को परिषद भवन देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी पंजीकृत आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हाना का हकदार नहीं होगा।

6.12 जमा धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदक को उल्लिखित पत्रों को सौंपन करते हुए प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

6.11 यदि किसी आवेदक द्वारा अणु स्थिती प्राप्त की गयी है तो उसे विकण्ड संस्था से अनापत्ति

6.10 परिषद/शासनद्वारा के अनुसरण पंजीकरण पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।

6.9 यदि किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन-पत्र भरे जाते हैं तो उस समय निरस्त किया जा सकता है। और किसी भी आवेदन से उसे शामिल नहीं किया जायेगा। तथा पंजीकरण की समस्त धनराशि जब कर दी जायेगी।

6.8 यदि किन्हीं कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित नहीं हो पाती है। तो आवेदन करने पर पंजीकृत की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक धनराशि परिषद खाते में जमा रहने पर ही ब्याज देय होगा।

6.7 स्व विल पाषित योजना के अन्तर्गत यदि कटौती के वापस कर दी जायेगी।

6.6 स्व-विल पाषित योजना के अन्तर्गत यदि कोई आवेदक सम्पूर्ण किरतों का भुगतान करने के उपरान्त भवन का मूल्य स्थित मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक बढ़ जाने के कारण भवन नहीं लेता है तो आवेदन करने पर सम्पूर्ण जमा धनराशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जायेगी।

6.5 सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत यदि कोई आवेदक मात्रा भवन ही जाने के पश्चात् भवन आवेदन से पूर्व अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करके ही अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी।



## **(7) स्व-वित्त पपेषित योजना के अर्न्तगत भवनों के लिये भुगतान का तरीका:-**

7.1 अनुमानित मूल्य में से पंजीकरण धनराशि घटाने के उपरान्त देय धनराशि का प्रथम एक मुश्त एक माह (30 दिन) के अन्दर तथा शेष धनराशि 8 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।

7.2 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के संबंध में पंजीकरण पात्रता चयन होने पर जारी होने वाले मांग पत्र क माध्यम से सूचित किया जायेगा।

7.3 यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया, तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए जो अधिकतम 3 माह होगी, परिषद नियमानुसार साधारण ब्याज भी देय होगा जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा।

7.4 पंजीकरण/आवंटन की वैद्यता बनाये रखने हेतु मांग-पत्र निर्गत हो जाने की तिथि से एक माह के अन्दर देय निर्धारित भुगतान करना अनिवार्य होगा।

7.5 यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीयन स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी बिन्दु 7.4 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

7.6 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान सूचित बैंक में ही नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंक

ड्राफ्ट से किश्त जमा करने की दशा में "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" के नाम बैंक ड्राफ्ट जो सम्बंधित शहर में देय हो, मांग पत्र में सूचित बैंक में पंजीकरण संख्या/फ्लैट संख्या, आवेदक का नाम, योजना का नाम फ्लैट श्रेणी, एन्वलेव का नाम आदि विवरण सहित जमा करना होगा।

7.7 निर्माण के पश्चात विक्रय मूल्य, क्षेत्रफल आदि में कमी या बढ़ोत्तरी हो सकती है। जिसका समायोजन निर्धारित किश्तों के जमा होने के उपरान्त अन्तिम भुगतान के समय किया जायेगा।

7.8 फ्लैट आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर कुल मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 2 प्रतिशत की छूट की विशेष सुविधा अनुमन्य होगी।



आवास आवंटित करने का प्रस्ताव किया जाएगा।

9.1 सामान्यतः पंजीकृत सभी व्यक्तियों को

### (9) आवंटन के नियम:-

है।

परिवर्तन करने का अधिकार परिषद को पास सुरक्षित

वाली सम्पत्ति के मूल्य भूगतान की अवधि में

8.4 किया गया क्रय पद्धति पर आवंटित की जाने

की जायेगी।

विधि पर प्रचलित दर पर सम्पत्ति मूल्य की गणना

नम्बर्सिंग (आकर) प्राप्त होने के बाद की गयी जायेगी

पत्रों को के पदेवाल उपलब्ध सम्पत्तियों की

सम्पत्ति मूल्य की गणना नहीं की जायेगी। अप्रति

पत्रों को की विधि को प्रचलित मूल्य दर पर

किया जायेगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है के

को लाटरी के माध्यम से सम्पत्ति विशेष का आवंटन

8.3 पत्रों को में सकल पत्र पंजीकृत आवेदकों

नाम आदि का उल्लेख करते हुए नाम करना होगा।

संख्या, योजना का नाम, भवन श्रेणी, इन्वेलव का

संख्या/घातान संख्या, आवंटन का नाम, भवन

है, प्रदशन-पत्र में स्थित बैंक में पंजीकरण

विकस परिषद" के नाम जो लखनऊ शहर में देय

धनराशि जमा करने की दशा में "उपरोक्त OKO पर

आर्डर द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर से

भूगतान स्थित बैंक में ही नाम, बैंक ड्राफ्ट अथवा पे

8.2 प्रदशन पत्र के अर्जसार देय धनराशि का

के साथ-साथ अधिविलेख ब्याज भी देय होगा।

अवधि के लिए परिषद नियमानुसार साधारण ब्याज

भूगतान नहीं किया गया तो देय धनराशि पर विलम्ब

अर्जसार निर्धारित विधि तक देय धनराशि का

8.1 प्रदशन पत्र में दर्शाये गये विवरण के

संशोधन:-

(8) भूगतान संख्या अन्य महत्वपूर्ण

9.6 फ्लैट धारा 50/परिषद धारा 50 के अन्तर्गत

होगे।

लगा होंगे। इस योजना के आवंटियों पर भी प्रभावी

सम्बन्ध में समय-समय पर परिषद द्वारा जो नियम

9.5 आवंटित फ्लैट का विक्रय एवं इस्तेमाल के

शेष धनराशि विना ब्याज के वापस की जायेगी।

पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि काटकर

प्रदान स्वीकार कर ली जाती है जो निर्धारित

आवेदन करने पर आवास आयुक्त द्वारा उनकी यह

कारणवशा प्रदशन स्वीकार नहीं करते और यथाविधि

आदि स्वीकार नहीं किया जायेगा। जो व्यक्ति किसी

सम्पत्ति की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद

प्राविधान नहीं है। प्रदशन स्वीकार करने के उपरान्त

आधार पर होगा। जिसमें तलों की खाइयों का कोई

9.4 फ्लैट का आवंटन " जैसा है वहाँ है" के

अनुमन्य है।

भवन का विलेख-निष्पादन एवं कब्जा लेने के पूर्व ही

आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन

परिवर्तन शुरू करने की शर्त के अधीन आवास

नियमानुसार रिवल के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित

आवृत्ति की प्रथम पर आवंटित भवन का परिवर्तन

किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों में व

9.3 सामान्यतः आवंटित भवन का परिवर्तन नहीं

सुविधा दी जा सकती है।

जाने पर उपलब्ध स्थिति के अर्जसार भूमि की भी

के पूर्व पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा लिखित सहमति दिश

का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा। लाटरी को

प्राविधानों के अर्जसार समुचित समझे जायेंगे भवनों

पंजीकृत सभी आवेदक पंजीकरण नियम 7.2 के

9.2 किसी विशेष श्रेणी के लिए इयस योजना में

सम्पन्न करा लिया जायेगा।

पंजीकरण पत्रों को निम्न कथ प्रारम्भ होने से पूर्व



फ्री-होल्ड के रूप में आवंटित किया जायेगा।

9.7 योजना में किसी आवेदक को पंजीकृत किये जाने आदि से सम्बन्धित किसी भी मामले में आवास आयुक्त का अनर्णय अन्तिम होगा। उन्हे अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका में वर्णित किन्हीं भी शर्तों को शिथिल किए जाने अथवा परिषद हित में अन्यथा निर्णय लिए जाने का पूर्ण अधिकारी होगा।

### (10) अन्य महत्वपूर्ण सूचना:-

10.1 फ्लैट के विक्रय मूल्य/क्षेत्रफल आदि में कमी या बढ़ोत्तरी हो सकती है जिसकी सूचना प्रदेशन-पत्र के माध्यम से दी जायेगी तथा तद्दानुसार आवेदक को धनराशि का भुगतान करना होगा।

10.2 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त हो होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों को मान्य होंगे।

10.3 प्रस्तावित फ्लैटों की स्थिति, उनकी संख्या, कुल क्षेत्रफल, आकार, मूल्य एवं निर्माण कार्य पूरा होने का समय अन्तिम (प्रोविजिनल) है। इसमें कभी भी परिवर्तन किये जा सकते हैं। भवन निर्माण के पश्चात परिषद द्वारा निर्धारित अन्तिम मूल्य ही आवंटि को मान्य होगा।

10.4 आवंटि को भवन का कब्जा पूर्ण भुगतान एवं आवश्यक विलेखों के निष्पादन के बाद दिया जायेगा। कब्जा प्राप्त करने के पश्चात आवंटि को समसत करों का भुगतान स्वयं करना होगा। आवंटि द्वारा निर्धारित समय के अन्दर कब्जा न लिए जाने पर परिषद द्वारा सम्पत्ति की देखभाल एवं रखरखाव हेतु जो शुल्क निर्धारित किया जायेगी। वह परिषद द्वारा निर्धारित दर से शुल्क के रूप में लिया जायेगा।

10.5 यदि आवंटि द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करके फ्लैट का कब्जा आवंटन के एक वर्ष तक नहीं लिया जाता है तो उसका आवंटन पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत काट करके निरस्त कर दिया जायेगा, शेष धनराशि बिना ब्याज नियमानुसार आवेदन करने पर वापस कर दी जायेगी।

10.6 फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटि द्वारा फ्लैट में अतिरिक्त निर्माण बिना परिषद की अनुमति से नहीं किया जायेगा। उल्लंघन किये जाने पर आवंटन बिन्दु 10.5 के अनुसार कटौती करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं फ्लैट का कब्जा परिषद द्वारा वापस ले लिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के आदेश आवंटि को मान्य होंगे।

### पात्रता:-

1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिये।
2. आवेदक की आयु आवेदन करते समय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।
3. आवेदक तथा उसके परिवार के पास उस नगर में जहाँ भवन अथवा आवासीय भूखण्ड नहीं होना चाहिये तथा उत्तर प्रदेश के हसी अन्य नगर अथवा शहरी क्षेत्र में से एक सक अधिक फ्लैट/भूखण्ड नहीं होना चाहिये।
4. आवेदक अथवा उसके परिवार के पक्ष में परिषद द्वारा सम्बन्धित नगर में पहले कोई भवन/भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है। और यदि पहले कराये गये पंजीकरण के फलस्वरूप कोई सम्पत्ति आवंटित हो जाती है तो यह पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा।



## अन्य महत्वपूर्ण सूचना / शर्तें-

1. सभी सम्पत्ति आवासीय है अतः सम्पत्ति का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आबंटी को सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन परिषद से बिना पूर्व अनुमति के अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं पंजीकरण, आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीयन निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आबंटी पर प्रभावी होंगे।
2. फ्लैट्स की सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आबंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा।
3. यदि आबंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण/सम्पत्ति परिवर्तन करने हेतु परिषद नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डेमिटी बॉन्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
4. आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।
5. पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
6. किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आबंटी को करना होगा।
7. किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
8. सम्पत्ति का अन्तिम मूल्य पात्रता ड्रा की तिथि पर लागू भूमि दर के आधार पर आगणित नहीं होगा अपितु आवंटन की तिथि पर प्रचलित दर के आधार पर मूल्य आगणित किया जायेगा। सम्पत्ति के अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि होने पर बढ़ोत्तरी सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।
9. वाद विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

## तथ्यों का छिपाना:-

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आबंटी द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी



## नोट

1. आरक्षण चार्ट क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 06 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित (सामानय) श्रेणी के मध्य से ही हारिजेण्टल रूप से किया जायेगा।
2. आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार शासन / परिषद के पास सुरक्षित है।
3. विशेष श्रेणियों को दी जाने वाली रियायतों में प्रतिबन्ध यह है कि आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को आवासीय सम्पत्ति के मूल्य में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

### विस्थापितों के लिए प्राविधान

विस्थापित को परिषद / शासनादेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी। विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि / भवन को परिषद द्वारा एस योजना में अधिग्रहीत किया गया हो। विस्थापित आवेदकों के सम्बन्ध में निर्णायक मण्डल द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

## आरक्षण

प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के भवनों/भूखण्डों में आरक्षण शासन/परिषद् के आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है।

क्र. सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायतें तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1.	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना है।
2.	अनुसूचित जनजाति	2	-तदैव-
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	-तदैव-
4.	विधायक/सांसद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है। (ब) समुचित प्रमाण-पत्र
5.	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
6.	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न करना है। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हो।
7.	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर संलग्न करना है।
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
9.	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा यथा निर्धारित उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण-पत्र अथवा वैधानिक प्रमाण-पत्र
10.	परिषद् योजना द्वारा उसी योजना में विस्थापित व्यक्ति	कोई निश्चित प्रतिशत नहीं (अधिकतम 10 प्रतिशत)	पंजीकरण दौर के बावजूद आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता, सम्बन्धित विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी एवं उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् से निर्धारित प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर विस्थापित को दी जायेगी अथवा परिषद् द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल का भूखण्ड/भवन दिया जायेगा अथवा यथा निर्धारित वांछित श्रेणी की एक सम्पत्ति आवंटित की जायेगी।



## नोट:-

1. उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 10 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के मध्य से ही हारिजेण्टल रूप से किया जायेगा।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं। उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसे आवेदक अनारक्षित श्रेणी के आवेदक माने जायेंगे।

### हॉरिजेण्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

7-1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक आरक्षण कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्र से की जाने अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

### भूमि विस्थापितों के लिए प्राविधान :-

भूमिस्थापित का/शासनादेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी। भू-विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/भवन को परिषद द्वारा उस योजना में अधिग्रहीत किया गया हो। इस हेतु अधिकारी (भूमि अध्याप्ति अधिकारी) का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।



बैंक शाखाओं के नाम व पते जहाँ से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन पत्र (पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

पंजीकरण आवेदन जमा करने हेतु अन्तिम तिथि: 7 जनवरी, 2016

-:पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त एवं जमा करने हेतु बैंक:-

क्रमांक	बैंक का नाम	पता	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष
1.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	महावीर पुरेन्दरी पांडे कॉम्प्लेक्स उदरठिया, लखनऊ-226025	मै. प्रमीला रस्तोगी	मो.: 9198573585
2.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	23, विधानसभा मार्ग लखनऊ-226001	मै. विवेक सिंह	मो.: 7275555675

### महत्वपूर्ण सूचना:-

2. स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना 2015 की पुस्तिका का विक्रय एवं पंजीकरण आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित जमा कराने से सम्बंधित कार्य उपरोक्त बैंक ही से किया जायेगा।

पंजीकरण पुस्तिका / (प्रचार अनुभाग), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ से भी क्रय की जा सकती है।

### महत्वपूर्ण नोट:-

स्ववित्त पोषित योजना 2015 तथा सामान्य पंजीकरण योजना 2015 के पंजीकरण पुस्तिका का विक्रय एवं पंजीकरण आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित जमा करने का कार्य उल्लिखित बैंकों द्वारा ही किया जायेगा।

(अ) डाक द्वारा पंजीकरण पुस्तिका मंगाने हेतु रू0 350/- (पुस्तिका मूल्य तथा डाक व्यय सहित) प्रेषित कर पंजीकरण पुस्तिका अधिकृत बैंकों से प्राप्त की जा सकती है।

(ब) डाक में होने वाले विलम्ब के लिए बैंक/परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।

### स्व-वित्त पोषित भवनों के पंजीकरण हेतु

बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर का लेखा शीर्षक "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ" के नाम देय होगा।



## योजना के क्रियान्वयन की जानकारी हेतु निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं

### श्री अनिल यादव

फोन नं०- 0522-2238741

संयुक्त आवास आयुक्त, लखनऊ जॉन,  
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

### इ० सुनील चौधरी

मो० नं०- 8795810049

अधीक्षण अभियंता मुख्यालय वृत्त,  
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
लखनऊ।

### इ० के० आर० लोहुमी

मो० नं०- 8795810079

अधीशासी अभियंता निर्माण खण्ड-15  
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
ऑफिस काम्प्लेक्स, ऑफिस परिषद,  
वृन्दावन योजना, लखनऊ।

### डा० अनिल कुमार

मो० नं०- 8795810229

उप आवास आयुक्त, वृन्दावन योजना  
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
ऑफिस काम्प्लेक्स, ऑफिस परिषद,  
वृन्दावन योजना, लखनऊ।

### श्री शैलेन्द्र कुमार सक्सेना

मो० नं०- 8795811128

कनिष्ठ लेखाधिकारी वृन्दावन योजना  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद  
ऑफिस काम्प्लेक्स वृन्दावन योजना,  
लखनऊ।



## आवेदन - पत्र में भरने के लिए निर्देश

आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर केवल आवेदक ही करें। आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं।

आवेदक केवल भारतीय अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग करें।

जैसे - 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

आवेदन पत्र कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा स्थापित किये जाने हैं। अंग्रेजी में भरने पर अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में (BLOCK LETTERS) में भरे हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।

आवेदन पत्र में भरने के लिए विभिन्न कोड की सूची पृष्ठ संख्या-21 में दी गई है।

अपूर्ण आवेदनों का पंजीकरण आवेदक द्वारा सही सूचना देने के बाद ही किया जायेगा।

एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।

नाम व पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक अवश्य छोड़ें।

परिषद से भविष्य में पत्र-व्यवहार के समय पंजीकरण संख्या, शहर कोड तथा चरण अवश्य अंकित करें।

पत्र व्यवहार का पता बदलने पर परिषद को तुरन्त सूचित कर दें।

आवेदन पत्र जमा करते समय निम्न विवरण भर लें जिससे भविष्य में पत्र-व्यवहार में सूविधा होगी। कृपया भविष्य में पत्र-व्यवहार के समय निम्न विवरण की फोटो कॉपी अवश्य प्रेषित करने का कष्ट करें।

चरण		फार्म संख्या	:	
8.	शहर का नाम	:	शहर कोड	:
9.	सम्पत्ति प्रकार / श्रेणी	:	सम्पत्ति कोड	:
10.	योजना का नाम	:	योजना कोड	:
11.	आवेदक का नाम	:	श्री / श्रीमती / कु0	
12.	पत्र व्यवहार का पता	:		
13.	जमाकर्ता बैंक का नाम	:		
14.	जमा धनराशि रू0	:		



## आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

शहर	कोड	आरक्षण श्रेणी	कोड सं०
लखनऊ	077	अनुसूचित जाति	01
		अनुसूचित जनजाति	02
		अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		(अनारक्षित) सामान्य वर्ग	04
योजना	कोड	आरक्षण श्रेणी	कोड सं०
वृद्धावन योजना			
सम्पत्ति श्रेणी	कोड	हारिजेन्टल आरक्षण	कोड सं०
दुर्बल आय वर्ग (जी+2) एस.एफ.एस.		वर्तमान विधायक, सांसद, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	F
लिंग	कोड	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
स्त्री	F		
पुरुष	M	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,	B
पति एवं पत्नी (संयुक्त)	FM	विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका।	
भुगतान	कोड	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
नगद	01	समाज के विकलांग व्यक्ति	D
किश्त		वरिष्ठ नागरिक (वृद्धजन)	O
		विस्थापित	W



निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहां जहां वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

**आवेदक का परिवार:-**

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

**आय-**

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त स्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

**भूखण्ड / भवन-**

“भवन या मकान” शब्द में: “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

**सम्पत्ति-**

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन, फ्लैट अथवा भूखण्ड से है।

**चरण (पंजीकरण का खुलना)-**

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिए भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

**सरकारी सेवाओं से तात्पर्य-**

उ०प्र० राज्य की सेवा में तथा उ०प्र० राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

**विस्थापित व्यक्ति-**

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि/भवन परिषद द्वारा उस योजना में अधिगृहीत की गयी हो।

**स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है-**

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।  
(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आश्रित को सुविधा देय नहीं है।)
- (2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इन्डिपेंडेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण अनुमान्य नहीं होगा।

**सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य-**

सेवारत/सेवा निवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य उ०प्र० शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

**अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य-**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य उ०प्र० शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।



### **अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य**

उ०प्र० (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

### **नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य-**

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन/विकलांग व्यक्ति से है।

### **परिषद कर्मचारी का तात्पर्य-**

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से हैं जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

### **परिषद का तात्पर्य-**

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

**विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य-**

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।



## रू. 10/- के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

### शपथ-पत्र

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी..... उम्र..... वर्ष  
पुत्र / पुत्री / पत्नी..... निवासी.....

मैं भारत का नागरिक शपथपूर्वक बयान करता / करती हूँ:

1. मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।
2. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा / रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति / पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड / भवन आवंटित हो जाता है या क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं तुरन्त परिषद मुख्यालय को दूँगा / दूँगी।
3. मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी नगर में एक से अधिक भूखण्ड / भवन नहीं है।
4. मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष ..... में (पंजीकरण भरते समय की तिथि के पूर्व के वर्ष का उल्लेख करें) समस्त श्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय (रू0.....) थी जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबंधियों की आय सम्मिलित है।
5. मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि धारा 1 से 4 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर परिषद को दिया गया है तो परिषद को मेरे विरुद्ध जो उपयुक्त समझें, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

### घोषणा

मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 5 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर




# KEY PLAN

Key Plan



Sector - 5C

24 Mtr. wide road





हमारा प्रयास  आपका आवास

एक घर हो सपनों का,  
खुशियों की छांव तले।



IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.com>, E-mail : [upavp@sancharnet.in](mailto:upavp@sancharnet.in)

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित